न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— गोपाल लाला मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 55 / 2015

तारीख दायरा—26.06.2015

तारीख निर्णय—01.07.2016

1. श्री टेका पिता अम्बा गमेती निवासी सेमटाल तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता गणेशलाल भील निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री राजेश तेली

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा गोगुन्दा पटवार क्षेत्र गोगुन्दा में आराजी नम्बर 6636 रकबा 0.0450, 6637 रकबा 0.0300, 6639 रकबा 0.0950 किता 3 कुल रकबा 0.1700 है0 भूमि स्थित है, जिसे वादपत्र पत्र में आगे विवादित आराजियात कहा जायेगा। उक्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार होकर मौके पर अपनी सुविधा अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि का रेकार्ड में विधिवत विभाजन नही होने से आये दिन पाली डोली को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा भूमि के विभाजन में कोई तत्परता नही दिखाई। इसलिये वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। भूमि का रेकार्ड में विभाजन नही होने से

वादी अपने हिस्से की भूमि के विकास हेतु ऋण भी नही ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य विभाजन कराया जाकर भूमि अलग अलग खाते दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या एक बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या दो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से वादी की साक्ष्य बन्द की गई एवं वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे जो अपने वादपत्र में अंकित किये है। वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहता है। प्रतिवादी बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। अतः वादी का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। विभाजन योजना प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने जाहिर किया कि बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गोगुन्दा की आराजी नम्बर 6639/1 रकबा 0.0570

है0 भूमि का टेका पिता अम्बा जाति भील निवासी सेमटाल को एवं आराजी नम्बर 6639 मी. रकबा 0.0380, 6636 रकबा 0.0450, 6637 रकबा 0.0300 किता 3 कुल रकबा 0.1130 है0 भूमि का उदयलाल पिता गणेशलाल भील को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतद्नुसार डिकी पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल मीना)
उपखण्ड़ अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर